



## नविवारक नरिध कानूनौ का दुरुपयोग

यह एडटोरियल 12/04/2023 को 'द हट्टि' में प्रकाशति "Safeguards and procedures: On India's preventive detention laws" लेख पर आधारति है। इसमें औपनविशकि काल के नविवारक नरिध कानूनौ से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई है।

### संदर्भ

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने टपिणी की कदेश के नविवारक नरिध कानून (preventive detention laws) औपनविशकि वरिसत रखते हैं और राज्य को मनमाना अधिकार प्रदान करते हैं। उसने यह भी कहा कि संवधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त व्यक्तगत स्वतंत्रता के लिये भी गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं।

- न्यायालय के इस अवलोकन के अलावा, ऐसे कई दृष्टांत मौजूद हैं जहाँ इन कानूनौ का दुरुपयोग देखा गया है और न्यायालयों के समक्ष मामले पेश किये गए हैं।
- इस संदर्भ में, नविवारक नरिध, इससे संबंधति मुद्दों और आगे की राह पर वचिर करना प्रासंगकि होगा।

### नविवारक नरिध क्या है?

- नविवारक नरिध (Preventive Detention) का अर्थ है किसी व्यक्तको नरिद्ध करना ताकि उस व्यक्तको किसी भी संभावति अपराध के कृत्य से रोका जा सके।
- दूसरे शब्दों में, नविवारक नरिध प्रशासन द्वारा इस संदेह के आधार पर की गई कार्रवाई है कि संबंधति व्यक्त द्वारा कुछ ऐसे गलत कृत्य किये जा सकते हैं जो राज्य के लिये प्रतिकूल या हानकिर (prejudicial) होंगे।

### नविवारक नरिध से संबंधति प्रावधान

- दंड प्रक्रिया संहति (CrPC) की धारा 151 में उपबंध किये गया है कि एक पुलिस अधिकारी मजस्ट्रेट के किसी आदेश के बिना और बिना किसी वारंट के भी किसी व्यक्तको गरिफ्तार कर सकता है, यदि उसे ऐसा प्रतीत होता है कि गरिफ्तार किये बिना ऐसे किसी अपराध को रोका नहीं जा सकता है।
- अनुच्छेद 22 इस तरह के नरिधों से संबंधति संवधानकि सुरक्षा उपायों का प्रावधान करता है।

### किसी व्यक्तको किस आधार पर नरिद्ध किये जा सकता है?

- नविवारक नरिध के आधार हैं:
  - राज्य की सुरक्षा,
  - लोक व्यवस्था,
  - वदेश मामले, और
  - सामुदायकि सेवाएँ।

### नरिद्ध किये गए व्यक्तके लिये कौन-से सुरक्षा उपाय उपलब्ध हैं?

- प्रथमतया, किसी व्यक्तको केवल 3 माह की अवधि के लिये नविवारक अभरिक्षा (preventive custody) में लिये जा सकता है।
  - नरिध की अवधि 3 माह से आगे केवल सलाहकार बोर्ड (Advisory Board) के अनुमोदन पर बढ़ाई जा सकती है।
- नरिद्ध किये गए व्यक्तको यह जानने का अधिकार है कि उसे किस आधार पर नरिद्ध किये गया है।
  - हालाँकि राज्य सार्वजनकि हति में यदि आवश्यक हो तो आधार बताने से इनकार भी कर सकता है।
- नरिद्ध किये गए व्यक्तको अपने नरिध को चुनौती देने का अवसर प्रदान किये जाता है।

## नविवारक नरिध के पकष में तरक

- **राषुटरीय सुरकषा का संरकषण:** राषुटरीय सुरकषा के लयि नविवारक नरिध कानून आवशुयक हैं, जो प्ररधकारियों को ऐसे वुयकतयों को नरिदुध करने की अनुमतरा देते हैं जो सारवजनकि सुरकषा, राषुटरीय सुरकषा या समाज की शांति एवं वुयवसुथा के लयि खतरा उतुपन्न कर सकते हैं।
- **अपराधों को रोकने के लयि पूरव-सकरयि उपाय:** नविवारक नरिध का उपाय अपराधों के कारति होने से पहले ही उनहें रोकने के लयि एक पूरव-सकरयि उपाय के रूप में कयि जा सकता है। इसका उपाय प्ररय: उन वुयकतयों को नरिदुध करने के लयि कयि जाता है जो आपराधकि गतवियधियों में संलग्न होने की संभावना रखते हैं या जो पूरव में अपराधों में संलपित रहे हैं।
- **न्यायपालकिा द्वारा समरुथति:** न्यायपालकिा ने ऐसे कानूनों की वैधतरा को बरकरार रखा है कुर्योकवि सारवजनकि वुयवसुथा बनाए रखने में अतुयंत उपायगी रहे हैं। सरवोचच न्यायालय ने यह सुनशिकति करने के लयि दशिा-नरिदेश भी नरिधारति कयि है कि नविवारक नरिध का उपाय वविकपूरण तरिके से कयि जाए और वुयकतयों को मनमाने ढंग से नरिदुध नहीं कयि जाए।
  - अहमद नूर मोहमद भटुटी बनाम गुजरात राजुय मामले में सरवोचच न्यायालय ने CrPC की धारा 151 की संवैधानकि वैधतरा को बरकरार रखा और कहा कि पुलसि अधिकारी द्वारा इस शकृता क दुुरुपयुग इस प्ररवधान को मनमाना और अनुचति सदिध नहीं कर सकता।
  - मरयिपुन बनाम ज़लिा कलेकृटर एवं अन्य मामले में यह नरिणय दयिा गया कि नरिध और इससे संबंधति कानूनों का उददेशुय कसिी को दंडति करना नहीं है, बलुक कुरुछ अपराधों को घटति होने से रोकना है।
- **संवैधानकि सुरकषा उपाय:** भारत का संवैधान नविवारक नरिध कानूनों के दुुरुपयुग को रोकने के लयि कई सुरकषा उपाय प्रदान करता है।
  - प्रथमतया, कसिी वुयकता को केवल 3 माह की अवधि के लयि नविवारक अवरिकषा (preventive custody) में लयिा जा सकता है।
    - नरिध की अवधि 3 माह से आगे केवल सलाहकार बुरुड (Advisory Board) के अनुमोदन पर बढाई जा सकती है।
  - नरिदुध कयि गए वुयकता को यह जानने का अधिकार है कि उसे कसि आधार पर नरिदुध कयि गया है।
    - हालांकि राजुय सारवजनकि हति में यद आवशुयक हो तो आधार बताने से इनकार भी कर सकता है।
  - नरिदुध कयि गए वुयकता को अपने नरिध को चुनौती देने का अवसर प्रदान कयिा जाता है।
- **संभावति अपराधियों के लयि नविवारक:** नरिदुध कयि जाने का भय उन वुयकतयों के लयि एक नविवारक (deterrent) के रूप में कारुय कर सकता है जो आपराधकि गतवियधियों में संलग्न होने की कोई मंशा या योजना रखते हैं।

## नविवारक नरिध कानूनों से संबद्ध मुददे

- **तुचुछ कारणों से उपायुग:** ऐसे कई दृषुटांत सामने आए हैं जहाँ अधिकारियों को तुचुछ या मामूली वषियों में इन कानूनों का उपायुग करते हुए पाया गया है। सबसे अजीब दृषुटांतों में से एक यह रहा कि घटयिा मरिच पाउडर बेचने के लयि एक वुयकता को 'गुंडे' के रूप में नरिदुध कयिा गया।
- **उपायुक्त परभाषा का अभाव:** वभिन्न राजुय कानूनों में, यह स्पुषुट नहीं है कि कसिी वुयकता को कसि आधार पर नरिदुध कयिा जाना चाहयि। इस प्रकार, कानून का दायरा शायद ही कभी अभुयासकि अपराधियों (habitual offenders) तक सीमति रहता है।
- **औपनवशिकि वरिसत:** कुरुछ वशिषजुओं का तरक है कि आधुनकि समय में ऐसे कानूनों की आवशुयकतरा नहीं है जो बरुटिशि राज के दौरान सुवतंतरता सेनानयियों के वरिदुध उपायुग कयि गए थे।
- **मूल अधिकारों के वरिदुध:** ऐसे कानून मूल अधिकारों के स्पुषुट वरिध में हैं। कसिी वुयकता को इस अनशिकति आधार पर नरिदुध कयिा जाना कविह कोई अपराध कर सकता है, [अनुचुदेद 19 एवं 21](#) तहत प्रदत्त मूल अधिकारों का उललंघन करता है।
- **दुरुपयुग:** कई बार ऐसा देखा गया है कि इन कानूनों का प्रतशिोधतमक तरिके से दुुरुपयुग कयिा गया है। कई मामलों में सतुतरुद्ध दलों को वपिकष के सदसुयों को दंडति करने के लयि इन कानूनों का दुुरुपयुग करते हुए देखा गया है। COVID काल में वभिन्न राजुय सरकारों ने कई वपिकषी नेताओं और पतरकारों पर राषुटरीय सुरकषा अधनियिम (NSA) का उपायुग कयिा।
- **सुरकषा उपायों की अपरुयापततरा:** अनुचुदेद 22 वुयकता को अपनी गरिफुतरारी के आधारों के बारे में सूचति कयि जाने का अधिकार देता है, लेकिन वही अनुचुदेद सारवजनकि हति में आधारों का खुलासा न करने का भी प्ररवधान करता है। इस प्रकार, नरिध के आधारों का खुलासा करने से इनकार करना सही अरुथों में सुरकषा उपाय नहीं है।

## आगे की राह

- **कानूनों में एकरुपतरा लाना:** नविवारक नरिध के वषिय में अलग-अलग राजुयों में अलग-अलग कानून प्रचलति हैं कुर्योकवि विधि एवं वुयवसुथा राजुय सूची का वषिय है। इस सुथति में केंद्र सरकार को राजुयों से आग्रह करना चाहयि कि वे कसिी न कसिी मॉडल अधनियिम के माधुयम से इनमें एकरुपतरा लाएँ।
- **अस्पुषुटतरा को दूर करना:** अस्पुषुटतरा या संदगिधतरा को दूर करने के लयि कानूनों के अधीन अपराधों की प्रकृति को स्पुषुट रूप से परभाषति कयिा जाना चाहयि। उदाहरण के लयि, तमलिनाडु का 'गुंडा अधनियिम' अवैध शराब वकिरेतरा, झुगगी हडपने वाले, वन में अवैध गतवियधि करने वाले अपराधियों से लेकर वीडयिो पाइरेट, यौन अपराधी और साइबर अपराधियों तक सबको ही दायरे में शामिल कर लेता है।
- **कानूनों का प्रभावी उपायुग सुनशिकति करना:** अधिकारियों को इस तरह से प्रशकिषति कयिा जाना चाहयि कि वे यथोचति रूप से कारुय करें और कानूनों का दुुरुपयुग न करें। इसके साथ ही, कानूनों का उपायुग सारवजनकि वुयवसुथा बनाए रखने के वृहत उददेशुय को पूरा करने के लयि कयिा जाना चाहयि और तुचुछ मुददों के लयि या प्रतशिोध के लयि इनका इसतेमाल नहीं कयिा जाना चाहयि। [\[1\]\[2\]\[3\]\[4\]\[5\]\[6\]\[7\]\[8\]\[9\]\[10\]\[11\]\[12\]\[13\]\[14\]\[15\]\[16\]\[17\]\[18\]\[19\]\[20\]\[21\]\[22\]\[23\]\[24\]\[25\]\[26\]\[27\]\[28\]\[29\]\[30\]\[31\]\[32\]\[33\]\[34\]\[35\]\[36\]\[37\]\[38\]\[39\]\[40\]\[41\]\[42\]\[43\]\[44\]\[45\]\[46\]\[47\]\[48\]\[49\]\[50\]\[51\]\[52\]\[53\]\[54\]\[55\]\[56\]\[57\]\[58\]\[59\]\[60\]\[61\]\[62\]\[63\]\[64\]\[65\]\[66\]\[67\]\[68\]\[69\]\[70\]\[71\]\[72\]\[73\]\[74\]\[75\]\[76\]\[77\]\[78\]\[79\]\[80\]\[81\]\[82\]\[83\]\[84\]\[85\]\[86\]\[87\]\[88\]\[89\]\[90\]\[91\]\[92\]\[93\]\[94\]\[95\]\[96\]\[97\]\[98\]\[99\]\[100\]](#) मामले में माननीय सरवोचच न्यायालय द्वारा यही नरिदेशति कयिा गया है।
- **वैकलुपकि तरिकों का उपायुग करना:** अधिकारियों को कुरुछ वैकलुपकि उपाय खोजने चाहयि और यद संभव हो तो कसिी वुयकता को नरिदुध करने से बचने का प्ररुयास करना चाहयि। कसिी अपराध के लयि दंड का उस अपराध की गंभीरतरा से प्रतुयकष एवं समानुपाती संबंध होना चाहयि। उदाहरण के लयि, कसिी मामूली अपराध के लयि एक मामूली जुरुमाना प्ररुयापत हो सकता है, जबकि कसिी गंभीर या हसिक अपराध के लयि सुदीरुध कारावास का दंड उपायुक्त होगा।
- **दुरुलभतम मामलों में उपायुग:** कसिी भी परदृशुय में कानूनों का मनमाने ढंग से उपायुग नहीं कयिा जाना चाहयि। अधिकारियों द्वारा अपराध की गंभीरतरा का नरिणय कयिा जाना चाहयि और दुरुलभतम (Rarest of the Rare) मामलों में इन कानूनों का उपायुग कयिा जाना चाहयि।

## नषिकरष

जबकि नविरक नरिध कानून वधि-व्यवस्था बनाए रखने में एक उपयोगी साधन हो सकते हैं, मानवाधिकारों के कसिी भी उल्लंघन से बचने के लयि उनका कार्यानवयन पर्याप्त सावधानी से कयिा जाना चाहयिे । सरकार को यह सुनश्चिति करने की आवश्यकता है कि इन कानूनों का दुरुपयोग न हो और इनका उपयोग केवल तभी कयिा जाए जब व्यक्तयिों के परतकिसिी अनुचति हानाको रोकने के लयि इनकी आवश्यकता हो ।

**अभयास परश्न:** नविरक नरिध कानूनों की पराय: उनके दुरुपयोग के लयि आलोचना की जाती है । ऐसे कानूनों पर नयायपालकिा के दृषटकिोण के आलोक में इन कानूनों की आवश्यकता का समालोचनात्मक वशिलेषण कीजयिे ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/abuse-of-preventive-detention-laws>

